क्रमांक 7012-3 एस-72/31509

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

(1) हरियाणा के सभी विभाग अध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल तथा सभी उपायुक्त एवं उप-मंडल अधिकारी, हरियाणा।

(2) रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा स्तर न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़, 30 अक्तूबर, 1972/2 नवम्बर, 1972

विषय :—चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 7814-ए. एस-65/27821, दिनांक 10 अगस्त, 1965 (प्रति संलग्न है) की ओर दिलाऊं और बताऊं कि उपरोक्त पत्र के साथ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए फार्म निर्धारित किया गया था। सरकार ने अब इस मामले पर पुनः विचार किया है और निर्णय लिया है कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के गोपनीय रिपोर्ट फार्म में से निम्नलिखित कालम को हटा दिया जाए :—

(9) Is he fit for promotion to the grade of Jamadar/Daftri/Record Lifter etc.

तथा इस के स्थान पर निम्नलिखित नया कालम जोड़ दिया जाए :—

"Whether the employee has been able satisfactorily to disharge the duties of his office".

2. कृपया इन अनुदेशों के अनुसार आईन्दा कार्यवाही की जाए और गोपनीय रिपोर्ट फार्मों में आवश्यक तबदीली कर ली जाए।

भवदीय
हस्ताक्षर
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

(1) हरियाणा के सभी वित्तायुक्त, तथा
(2) हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव।

अशा0 क्रमांक 7012-3 एस-72/ दिनांक 30 अक्तूबर, 1972/3 नवम्बर, 1972